



2026:AHC:21920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1327 वर्ष 2026

चमन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: इरफान अहमद मलिक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 04.09.2023 को सहायक सब इंस्पेक्टर क्लर्क के पद पर हुई थी। हालांकि, जब याचिकाकर्ता सहारनपुर में तैनात थे, तब उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय, लखनऊ के एडीजी द्वारा 11.09.2025 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सहारनपुर से गोरखपुर करने का आदेश पारित किया गया, लेकिन उनकी कार्यमुक्ति का आदेश 21.01.2024 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण/कार्यमुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, खासकर तब जब 06.05.2025 के साशनादेश के अनुसार, कार्यमुक्ति एक सप्ताह के भीतर दी जानी थी। उन्होंने आगे बताया कि 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनमें विशेष अपील संख्या 481 वर्ष 2024 भी शामिल है, जिसका निर्णय 14.05.2024 को किया गया था।
- इस याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके; उनके अनुसार, साशनादेश और परिपत्र प्रत्यर्थियों पर बाध्यकारी हैं। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण की तिथि से कार्यमुक्ति तक पद पर बनाए रखने के लिए कोई अपवाद नहीं बताए गए हैं। उनका निवेदन है कि आदेश को अपास्त किया जाए।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का सावधानी से परिशीलन किया।
- स्पष्टतः, स्थानांतरण आदेश 11.09.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 21.01.2026 के कार्यभारमुक्ति आदेश के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया था। चूंकि प्रत्यर्थियों के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यभारमुक्ति 7 दिनों के भीतर की जानी है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवकाश के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह विंदु अब नया नहीं है क्योंकि इस पर विशेष अनुमति याचिका संख्या 481 वर्ष 2024 में दिनांक 14.05.2024 को निर्णय लिया जा चुका है।
- तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. प्रत्यर्थी संख्या 2, एडीजी, उत्तर प्रदेश, विशेष सुरक्षा बल, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.09.2025 को पारित किए गए विवादित स्थानांतरण आदेश और प्रत्यर्थी संख्या 3, कमांडेंट, 5वीं बटालियन, विशेष सुरक्षा बल, सहारनपुर द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित किए गए परिणामी आदेश, जहां तक यह रिट याचिकाकर्ता से संबंधित है, को अपास्त किया जाता है।

9. इस आदेश को पारित करने से अधिकारियों को नया आदेश पारित करने से निषिद्ध नहीं किया जाता।

10. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

2 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"